न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
न्यायासीन अधिकारी :– श्री जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.
प्रकरण संख्या 59/2022

कालूराम पुत्र मंगतराम जाति स्वामी साकिन नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ प्रार्थी

बनाम

1. मंगतराम पुत्र रूपदास उर्फ रामदास जाति स्वामी साकिन नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. शेराराम पुत्र मंगतराम जाति स्वामी साकिन नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3. चन्द्रकला पुत्री मंगतराम पत्नी पवन जाति स्वामी सा. सुरतगढ़ तह. सुरतगढ़ जिला श्री गंगानगर
4. मंजू पुत्री मंगतराम पत्नी शिशपाल जाति स्वामी सा. किशनपुरा तह.सुरतगढ़ जिला श्री गंगानगर
5. सुनीता पुत्री मंगतराम जाति स्वामी सा. नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया एवं उपपंजीयक संगरिया तहसील संगरिया। अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत प्रस्तत किया जिसमें संक्षिप्त तथ्य निम्नप्रकार से है कि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 के नाम चक 5 एनजीआर के खाता सं. 103/126 खाता गुमानदास वगैरा ज.सं. 2072–75 व चक 6 एनजीआर खाता सं. 111/126 खाता गुमानदास वगैरा ज.सं. 2072–75 व इसी चक के खाता सं. 112/60 खाता गुमानदास वगैरा ज.सं. 2072–75 व चक 16 एमकेएस खाता सं. 156/53 ज.सं. 2070–73 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो कि अप्रार्थी सं. 1 को हमारे दादा से विरास्तन प्राप्त हुई है। उक्त चक के उक्त खाता की जमाबंदी संलग्न है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त आराजी अप्रार्थी सं. 1 को हमारे दादा से विरास्तन प्राप्त हुई है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज उक्त वादग्रस्त आराजी उनके वारिसान उनके पुत्रगण प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं. 2 तथा उनकी पुत्री अप्रार्थी सं. 3 ता 5 की जद्दी जायदाद है। जिसमें प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं. 2 ता 5 का उनके पिता अप्रार्थी सं. 1 के साथ जन्म से ही बहिब का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। अतः अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज समस्त आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थी सं. 1 उक्त वादग्रस्त आराजी अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजी को अनजान व्यक्तियों को रहन बैय एवं अन्तरित करने की फिराक में है। प्रार्थी की आय का अन्य कोई भी स्त्रोत नहीं है। यदि अप्रार्थी सं. 1 अपने नाम दर्ज आराजी का अन्य दिगर व्यक्तियों को रहन बैय कर देत्ता है तो वादी को कभी न पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति धन में नहीं आंकी जा सकेगी। तथा प्रार्थी अपने राजस्व अधिकारों के स्वतंत्र उपयोग व उपभोग से पूर्णतया वचित हो जावेंगे तथा प्रार्थी के नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की पूर्णतया अवहेलना व उपेक्षा होगी। उपरोक्त तथ्यों के विवेचना से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner

लिहाजा प्रार्थना पत्र मय हल्फनामा पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वे चक 5 एनजीआर के खाता सं. 103/126 खाता गुमानदास वगैरा ज.सं. 2072–75 व चक 6 एनजीआर खाता सं. 111/126 खाता गुमानदास वगैरा ज.सं. 2072–75 व इसी चक के खाता सं. 112/60 खाता गुमानदास वगैरा ज.सं. 2072–75 व चक 16 एमकेएस खाता सं. 156/53 ज.सं. 2070–73 अप्रार्थी सं. 1 मंगतराम पुत्र रूपदास उर्फ रामदास के नाम दर्ज आराजी को रहन बैय व अन्य किसी भी तरीके से अन्तरित करने से निषेध

उक्त प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर एक पक्षीय बहस सुनने के बाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 1, 2, 4, 5 ने जरिये अधिवक्ता अपना जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 5 एनजीआर के खाता सं. 103/126 खाता गुमानदास वगैरा ज.सं. 2072–75 व चक 6 एनजीआर खाता सं. 111/126 खाता गुमानदास वगैरा ज.सं. 2072–75 व इसी चक के खाता सं. 112/60 खाता गुमानदास वगैरा ज.सं. 2072–75 व चक 16 एमकेएस खाता सं. 156/53 ज.सं. 2070–73 की वादग्रस्त कृषि भूमि जो अप्रार्थी संख्या 1 को विरासतन में प्राप्त न होकर स्वंय अर्जित कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि मे न तो प्रार्थी का हिस्सा है और ना ही अप्रार्थी संख्या 2, 4 ता 5 का कोई हक व हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या 1 अपनी आवश्यकतानुसार अपनी कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग करने हेतु स्वंत्रत है। इसलिए प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का सतुलन अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पूर्णतः सिद्व है। इसलिए प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र में कोई अनुतोष पाने कर अधिकारी नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो का दोहराते हुए कथन किया कि पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.08.2022 को अनवरत किया जाकर ताफैसला कन्फर्म किया जाने के कथन किये। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1,2,4,5 ने अपनी मौखिक बहस में कथन किया कि चक 5 एनजीआर खाता संख्या 103/126 खाता गुमानदास वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 व चक 6 एनजीआर के खाता संख्या 111/126 खाता गुमानदास वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 एवं इसी चक के खाता संख्या 112/60 खाता गुमानदास वगैरा ज.स. 2072–2075 तथा चक 16 एमकेएस खाता संख्या 156/53 जमाबन्दी सम्वत 2070–2076 में वर्णित कृषि भूमि पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत प्रार्थी पक्ष द्वारा मनगढत तथ्य पेश कर बदनियति से हासिल की गई है जो किसी कदर अनवरत किये जाने योग्य नही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने का निवेदन किया गया। यह भी कथन किया कि प्रार्थी स्थगन की आड़ में अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकारों का न केवल हनन कर रहे है। अपितु अप्रार्थी संख्या 1 वृद्व व्यक्ति जो न्यायालय में हाजिर होने लायक नही अपितु चल फिर नही सकता उसको तंग व परेशान करने की नियत से बदनियति पूर्वक एक रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार अप्रार्थी 1 के खिलाफ स्थगन आदेश

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रस्तुत किया जो प्रभावशील रखा जाना कतई उचित नही है और निवेदन किया कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र मय खर्चा के खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष पर भली भांति मनन किया गया। पत्रावली व पेश प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का गहराई से अध्ययन किया गया। यह न्यायालय प्रभावी स्थगनादेश अनवरत किए जाने पर इसलिए सहमत नही होता है क्योकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा खातेदार के हिस्से तक संयुक्त संपति के सभी अंशधारी कब्जे मे होना माने जाते है और बिना विभाजन के उसके हिस्से की संपति को बेचान करने के हकदार भी है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजी स्वंय अर्जीत है तथा अप्रार्थी संख्या 1 निर्बाध रूप से एक रिकोर्डेड खातेदार है। उनको अपने हिस्से की भूमि को विक्रय/अन्तरण/रहन न करने से पांबद नही किया जा सकता है। किसी भी रिकोर्डेड खातेदार के खिलाफ बिना मूल दावा अंतिम डिक्री तक अस्थाई व्यादेश अनवरत् किया जाना उचित व न्याय संगत प्रतीत नही होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में उपलब्ध उपचार/अनुतोष में भूमि का दुर्व्ययन (**wasted**) हानि (**dameged**) और अंतरित किए जाने (**lienated**) जैसी स्थिति हस्तगत प्रकरण में प्रतीत या उजागर भी नही होती है ऐसी स्थिति में प्रार्थी न तो सुविधा का सन्तुलन व न ही अपूर्णीय क्षति साबित करने में सफल रहा है, इसलिए अस्थाई व्यादेश को अनवरत किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी अपना प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू साबित करने में असफल रहा है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है एवं पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 04.08.2022 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

यह आदेश आज दिनांक 17.4.2025 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी कर सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया